फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक बनाम श्री फिरोज खाँ पिता मम्मु खाँ

कार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 446 CRPC

किस्म मुकदमा ~~दे.कि.~~ नम्बर 62 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/08/19	पत्रावली पेश हुई। अभियोजन अधिकारी एवं गैरसायल उपस्थित। गैरसायल को दिनांक 30/8/18 को गिरफ्तार कर पेश किया। गैरसायल को सुना गया। गैरसायल द्वारा 446 CRPC के जवाब हेतु अवसर चाहने पर उसे पर्याप्त अवसर दिया गया। किन्तु गैरसायल द्वारा आदिनांक तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। गैरसायल को पुनः सुना गया। गैरसायल के अनुपस्थित रहने के कारण संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है। अतः हालात प्रकरण एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए गैरसायल के जमानत मुचलके में से 250-250 कुल 500/-रु. (पांच सौ रुपये) जब्त किए जाते हैं। शेष राशि माफ की जाती है। गैरसायल से आरोपित राशि ~~[illegible]~~ राजकोष में जमा करवाई जावे। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल पत्रावली संख्या 01/2013 (रा.गु.नि.) के साथ संलग्न की जावे। (शिवांगी स्वर्णकार) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़	फिरोज
		पुस्तक सं. 0052655 रसीद सं. 0000084 दि. 29/08/19 से राशि 500/- राजकोष में जमा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official